न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

प्रा0 प0 संख्या 230/2022

मुरलीधर पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी पिपराली तहसील व जिला सीकर

–प्रार्थी–

बनाम

1. मुकन्दाराम पुत्र हनुमानाराम
2. नरेन्द्र पुत्र झाबरमल
3. लक्ष्मीदेवी पत्नि झाबरमल समस्त जाति जाट निवासीगण पिपराली तहसील व जिला सीकर

– अप्रार्थीगण –

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –वकील प्रार्थी– श्री महेन्द्र जाखड़
वकील अप्रार्थीगण – श्री नोपाराम जांगिड़

निर्णय

दिनांक : 22.12.2022

वकील प्रार्थी ने एक दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का मय आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया । आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1238 रकबा 1.45 है0 जिसके पुराने खसरा नम्बर 430 वाके ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 एवं वाद में प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 एक पूर्वज दुलाराम के वारिसान हैं।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned with Oken Scanner

दुलाराम के चार पुत्र हनुमान , हैमाराम,गोरूराम व खेताराम हुऐ। जिनमें से हनुमान कर्ताखानदान व बड़ा पुत्र होने से परिवार का मुखिया रहा था। वादग्रस्त भूमि के 1/2 हक व हिस्से की काश्त दुलाराम के चारों पुत्र आरटीएक्ट प्रभाव में आने से पूर्व से ही करते थे। उक्त भूमि चारों के नाम से ही दर्ज होनी चाहिये थी क्योंकि चारों ही काश्त करते चले आ रहे हैं। लेकिन हनुमान ने कर्ता खानदान होने के कारण सम्पूर्ण भूमि अपने नाम ही करवा ली । हनुमान की मृत्यु के पश्चात गलत रूप से विरासत के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वज झाबरमल व अप्रार्थी सं0 3 के नाम दर्ज हो गयी। झाबरमल के देहान्त के बाद भूमि उसके वारिसान अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम दर्ज हो गयी । गिरदावरी सम्वत 2011 से 14 से प्रमाणित है कि चारों भाई काश्त करते चले आ रहे है। पूर्वज ग्रामीण प्रवृति के कानून कायदों से अनभिज्ञ व्यक्ति होने के कारण रिकार्ड के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं हो पाई। दिनांक 2.9.22 को प्रार्थी अपने खेत की सार संभाल कर रहा था तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 अपने साथ 3–4 व्यक्तियों को लेकर आये तथा भूमियों का सौदा करने लगे। एतराज करने पर कहा कि खातेदारी हमारे नाम से है। आपको जबरदस्ती बेदखल कर देंगें। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्यां 1 ता 3 जरिये वकील उपस्थित रहे तथा जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 उपस्थित नहीं रहे इसलिये इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा जवाब आवेदन प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी व प्रतिवादी नम्बर 4 ता 13 का पेतृक हक व हिस्सा नहीं है ना ही उनके पूर्वजों के जमाने से काबिज काश्त हैं। 1/2 हिस्से का कबिज खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 हैं इसके अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नहीं है ना ही कब्जा काश्त है। आरटीएक्ट लागू होने से पूर्व से ही 1/2 हिस्से पर हनुमान काश्त करता था। उक्त भूमि कभी भी इनके कब्जे काश्त में नहीं रही है। मिसल हकियत सम्वत 1998 हनुमाना के नाम से बनी हुई है। उसकी मृत्यु के बाद विरासत भी सही दर्ज हुई है। प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 के पूर्वज समझदार थे। प्रार्थी दिनांक 2.9.22 को ना तो खेत में था नही अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने अपनी भूमि बेचने हेतु किसी को बुलाया। प्रार्थी को सदैव से पता है कि भूमि जवाबदाता के कब्जे काश्त व खातेदारी की है। प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 ने पूर्व में भी वाद संख्या 273/12 दायर किया था जिसमें मुरलीधर वादी संख्या 4 के रूप में पक्षकार था जो वाद दिनांक 16.8.2021 को अदम पैरवी में खारिज करवा लिया। इसके साथ की टी आई को दिनांक 27.1.2015 को न्यायालय हाजा ने निर्णय कर खारिज कर दिया था। जिसकी

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned with Oken Scanner

अपील करने पर माननीय न्यायालय आरएए ने दिनांक 18.3.2015 को खारिज कर दिया। इसे पश्चात निगरानी करने पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 29.8.19 को खारिज कर दी एवं अपील मुकदमा 9/15 दिनांक 16.8.21 को खारिज हो गई। इस प्रकार प्रार्थी क्लीन हैंण्ड से नहीं आया है तथ्यों को छुपाकर पुनः वाद एवं आवेदन प्रस्तुत कर दिया । अपने विशेष कथन में भी इन्ही तथ्यों को दोहराया गया । प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का मामला बनता है। अतः आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष सूनी गई जो मुताबिक आवेदन एवं जवाब आवेदन रही। वकील प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे(16)2009 पेज 78 की नजीर पेश की । बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निर्णय के लिये तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति पर विचारण किया जाता है। जो निम्न प्रकार से हैं–

प्रथम दृष्टया मामला– प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2075–78 के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 1238 की खातेदारी वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है । मिलान क्षैत्रफल से यह प्रमाणित है कि खसरा नम्बर 430/1 के नये खसरा नम्बर 1238 बने है। सम्वत 2011 से 17 में खातेदार के कालम में हनुमान वल्द दुला का नाम दर्ज है । विशेष विवरण के कालम में गोरू, खेता पुत्र दुला जाट दर्ज है । अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने अपने जवाब के साथ जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं उसे अनुसार मिसल हकियत में हनुमाना का नाम दर्ज है एवं समस्त गिरदावरियों में भी हनुमाना व उसके बाद झाबलमल का नाम दर्ज है। प्रार्थीगण के पूर्वज का कोई नाम दर्ज नहीं है। एक मात्र गिरदावरी सम्वत 2011 से 15 के विशेष कालम में नाम दर्ज हो जाने से प्रार्थी के पूवर्ज का कब्जा काश्त नहीं प्रमाणित होता है। इसके आलावा प्रार्थी ने पूर्व के दायर मुकदमात के तथ्यों को छुपाकर यह दावा व आवेदन पेश किया है। जिनकी प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है किय प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायलय में नहीं आया। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में कतई प्रमाणित नहीं होता है।

1. **<u>सुविधा का संतुलन –</u>** प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने के कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।
2. **<u>अपूर्णिय क्षति –</u>** उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को किसी प्रकार से अपूर्णिय क्षति होने की संभावना नजर नहीं आती है।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned with Oken Scanner

3. **निष्कर्ष–** उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कृषि भूमि खसरा नम्बर 1238 वाके ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर का प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.12.22 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उपखण्ड अधिकारी, सीकर